रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 1975/आश्विन 29, 1897

No. 434] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 1975/ASVINA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October 1975

No. 611(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975), the Central Government hereby determines that with effect from the date of commencement of the Act, the tax payable by a dealer under the Act shall, in the case of taxable turn-over in respect of the goods specified in the Second Schedule to the Act, be levied at the rate of four paise in the rupee.

[No. U-15034/16/75-Delhi]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1975

का० आ० 611(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से, संव्यवहारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर, इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बाबत कराधेय आवर्त्त की दशा में, एक रुपये में चार पैसे की दर से उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

[संख्या यू०-15034/16/75-दिल्ली]

के० सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975